जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,जोधपुर

क्र0 / जो0वि0वि0नि0लि0 / अअ–पीपीएम / फा0–सामान्य शाखा / प्रे0 1384 दिनांकः– 9-10-2002

आदेश

विषयः– कृषि कनेक्शन को किसी भी विद्युतिकृत गॉव मे आंशिक क्रय भूमि पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

****

आर0ई0ओ026 दिनांक 17.7.2002 के सन्दर्भ में पेरा संख्या 2 में यह प्रवाधान था कि क्रेता पूर्ण जमीन का हो ना कि भूमि का कुछ हिस्सा तथा आंशिक भूमि क्रय के मामले मे वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER)प्रकरण वरियता (MERIT) के आधार पर निगम की स्वीकृति प्राप्त कर ही,स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपभोक्ताओं ने बताया है कि,अकाल की स्थिति के कारण उनके कुओं का पानी सुख गया है या कम हो गया है, तथा अपनी भूमि को सिचाई करने में असमर्थ है अतःदूसरी जगह आंशिक भूमि क्रय कर वहां कुआ खुदाकर पाईप लाईन के द्वारा उपभोक्ता अपनी पुरानी जमीन सिंचाई करना चाहते है।

उपरोक्त को ध्यान रखते हुये दिनांक 4.10.2002 की समन्वय समिति में यह निर्णय लिया गया है कि आंशिक भूमि क्रय के मामलो में वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) द्वारा आंशिक भूमि क्रय करने पर भी अपनी जमीन सिंचाई हेतु कृषि कनेक्शन स्थानान्तरत किया जा सकता है तथा आर0ई0ओ 18 में वर्णित सक्षम अधिकारी अधिकृत होगे। आर0ई0ओ0 26 के शेष बिन्दु 1,3,4,व 5 यथावत रहेगें।

(एच०एस०देवड़ा)
उप–मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय),
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर